

पत्रांक—C-1237 कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, आई०सी०डी०एस० हरदोई।
 /जि०का०अधि०/बा०वि०परि०/विज्ञप्ति/2023-24 दिनांक ०४ अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं०-१९/२०२३/३९७५/५८-१-२०२२-२/१(२२)१० टी.सी. बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग, दिनांक २१.०३.२०२३ में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हरदोई के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद
1	2	3	4
1	अहिरोरी	ग्रामीण	५९
2	बावन	ग्रामीण	२६
3	बेहन्दर	ग्रामीण	३५
4	भरावन	ग्रामीण	१५
5	भरखनी	ग्रामीण	१३
6	बिलग्राम	ग्रामीण	५०
7	शहर	शहरी	४
8	हरियावां	ग्रामीण	१५
9	हरपालपुर	ग्रामीण	१०
10	कछौना	ग्रामीण	५०

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद
1	2	3	4
11	कोथावां	ग्रामीण	६२
12	माघोगंज	ग्रामीण	१२
13	मल्लावां	ग्रामीण	१४
14	पिहानी	ग्रामीण	५४
15	साण्डी	ग्रामीण	९
16	सण्डीला	ग्रामीण	२३
17	शाहाबाद	ग्रामीण	२६
18	सुरसा	ग्रामीण	३२
19	टडियावां	ग्रामीण	२४
20	टोडपुर	ग्रामीण	१६
कुल योग:-			५४९

उपरोक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों का आंगनवाड़ी केन्द्रवार एवं ग्रामसभा/वार्डवार विवरण आरक्षण सहित अहंता का पूर्ण विवरण जनपद हरदोई के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला कार्यकम कार्यालय, तहसील, विकास खण्ड कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों की अहंता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनवाड़ी कार्यकत्री हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष है।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा में उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी भी पात्र होंगी।
4. आवेदिका की आयु ०१ जुलाई, २०२४ को न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ३५ वर्ष होनी चाहिए।
5. आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद हेतु विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री पदों हेतु आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि २९.१०.२०२४ मध्य रात्रि १२:०० बजे तक होगी।

वरीयता:-

1. उसी ग्रामसभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा, महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
2. विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की अन्य महिला।
3. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएं।

✓
४८८

4. उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

आरक्षण:-

1. जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
2. आंगनबाड़ी कार्यक्रियों व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यक्रियों व सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

नोट:-

1. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की नकल ही मान्य होंगे।
2. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।
3. आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन(विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
4. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

नोट:-

उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यक्रम के पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय हरदोई से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार सम्पर्क किया जा सकता है।

127
०८/१०/२०२१

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
हरदोई।

११

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

- 1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
- 4- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद हरदोई।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, हरदोई को प्रचार-प्रसार हेतु।
- 6- सम्पादक अमर उजाला एवं ग्रामीण सहारा, जनपद हरदोई को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान में समाचार पत्र में प्रकाशित करने के साथ ही जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 7- कार्यालय प्रति।

१२८
०८/१०/२०२१

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।

११

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, आंगनबाड़ी इनाम हरदोई

पर्याय: C-1272, बिल्डिंग, विधानसभा, निहलेत, 2023-24

दिनांक 05 अक्टूबर, 2024

मर्गदर्शकारण को मुख्य छिपा जाता है कि आमनदी 05-10-2023/3975/58-1-2022-2/1(22) 10 दी.सी. बाल विकास पर्याय पूलाहार अनुसार दिनांक 21.03.2023 में निर्भाव लालगढ़ानुसार जनकर हरदोई के गहरी/पार्श्वी पर्यायोजन में संलग्न वाले विकास पर्यायोजन से भरतगढ़ानी कार्यक्रमी के जारी हो आवेदन रिकार्ड गर्ने पर निर्भाव देते गीर्ही अभी अधिकारी विकास पर्याय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाइन आवेदन पर अप्पाइल दिया जाता है। रिकार्ड पर्याय का पर्यायोजनावाले विवरण दिया जाता है।

छंटमें	पर्यायोजना का नाम	गामीन / ग्रामी	आगनबाड़ी कार्यक्रमी के रिकार्ड पर्याय
1	अर्द्धपूर्ण	ग्रामीन	4
2	कालावा	ग्रामीन	59
3	सेहन्दा	ग्रामीन	26
4	भारापुर	ग्रामीन	35
5	भारापुरी	ग्रामीन	15
6	किल्लापाल	ग्रामीन	13
7	झार	ग्रामीन	50
8	हरियाली	ग्रामीन	4
9	हरियाली	ग्रामीन	15
10	कुडीना	ग्रामीन	10
11	कुडीनी	ग्रामीन	62
12	कुडीनी	ग्रामीन	12
13	मालनारी	ग्रामीन	14
14	विलानी	ग्रामीन	54
15	मालडी	ग्रामीन	9
16	मालडीना	ग्रामीन	23
17	मालडीना	ग्रामीन	26
18	सुर्पा	ग्रामीन	32
19	टिडीयाली	ग्रामीन	24
20	टोडरापा	ग्रामीन	16
कुल योग:-			549

उपरोक्त आगनबाड़ी कार्यक्रमी के पर्याय का आगनबाड़ी के नेटवर्क पर आमसभा/वार्ड वाले विवरण आरक्षण महित अहित का पर्याय विवरण जनप्रद हरदोई के कलटकट्ट, विकास पर्याय, तलाकुल विकास खण्ड कार्यालय एवं वाले विकास, पर्यायोजना अधिकारी कार्यालय के नेटवर्क थोर्ड पर चम्पा की गयी है। साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अप्लाउड है।

आगनबाड़ी कार्यक्रमी के पर्याय की अहित एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- आगनबाड़ी कार्यक्रमी के पर्याय हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होती है।
- आगनबाड़ी कार्यक्रमी हेतु न्यूनतम रीढ़िक योग्यता इन्टर्व्हाइट एवं उसके समकक्ष है।
- आवेदकों को रिकार्ड पर्याय के वार्ड / आमसभा का स्थानी निवासी होना अनिवार्य है। रिकार्ड पर्याय के वार्ड / आमसभा में उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पर्यायत की स्थानी निवासी भी पात्र होती है।
- आवेदकों की आयु 01 जूलाई, 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष तकीय वाली आवेदन आवेदन पत्र रिकार्ड <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मात्र / स्वीकार नहीं किए जाएं।
- आगनबाड़ी कार्यक्रमी पर्याय हेतु विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर आनलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मात्र / स्वीकार नहीं किए जाएं।
- आगनबाड़ी कार्यक्रमी पर्याय हेतु आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 29.10.2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होती है।

वरीयता:-

- उसी आमसभा/वार्ड (शहरी झेंडी में) की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के वाले परिवारों, विधवा, महिला विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी आमसभा/वार्ड (शहरी झेंडी में) की गरीबी रेखा से कूपर जीवन यापन करने वालों परिवार की अन्य महिला।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार को महिलाएं।
- उसी आमसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पर्यायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

आरक्षण:-

- जो पर्याय के आवेदन मात्र होते हैं उसी श्रेणी के आवेदन मात्र होते हैं। अनारक्षित श्रेणी के पर्याय पर किसी भी जाति के आवेदन
- आगनबाड़ी कार्यक्रमी व मिनी आगनबाड़ी केन्द्र की कार्यक्रियों व सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसृत जाति, अनुसृत जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकास एवं स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी के अधिकारी तथा अधिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

नोट:-

- विधवा हेतु आम पर्यायत अधिकारी / सम्बन्धित न्याय नियंत द्वारा नियंत मूल्य प्रमाण पत्र एवं परिवार परिका की नकल ही मात्र होती है।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मात्र न्यायालय द्वारा नियंत विधिक आदेश मात्र होते हैं। आनलाइन फिजिट हस्ताक्षर से नियंत वाय प्रमाण पत्र ही मात्र होते हैं, जिनका आनलाइन संचयन सम्भव हो।
- नियाम एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाइन फिजिट हस्ताक्षर नियंत वाय प्रमाण पत्र ही मात्र होते हैं, जिनका आनलाइन संचयन सम्भव हो।

नोट:-

- उपरोक्त आगनबाड़ी कार्यक्रमी के पर्याय की अहित एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्राप्त एवं मूल्यानुसार सम्पर्क किया जा सकता है।

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई